कार्यालय :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

वन भवन – चतरा (झारखण्ड) – 825401

फोन नं0– **06541-296022, Email : (1) dfo-chatranorth@gov.in (2) dfochatranorth@gmail.com**

पत्रांक :– 775 **चतरा, दिनांक :–** 25/04/2026

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा।

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषयः– **मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि० द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132K.V DC/ ईटखोरी–चतरा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 55.217 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल– 53.679 हे० एवं उत्तरी प्रमण्डल 1.538 हे०) वन–भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, रांची का पत्रांक FP/JH/TRANS/40120/2019/691 दिनांक 16.11.2022 एवं आपका ज्ञापांक 132 दिनांक 17.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु समर्पित प्रस्ताव पर की गई छः बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 242 दिनांक 10.03.2026 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित किया गया है। तत्क्रम में, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन पर अधोहस्ताक्षरी का कंडिकावार मंतव्य निम्नवत हैः–

क्र० सं०	पृच्छा	निराकरण
1	The Kml file of total proposed forest land for diversion.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वि ायक परियोजना निर्माण के क्रम में चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित हेतु प्रस्तावित कुल वन भूमि का .kml file, PARIVESH 1.0 Portal पर Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
2	The Kml of complete alignment and alternative routes of transmission line explored.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक परियोजना के Complete Alignment एवं ढुंढे गये दो Alternative Routes का .kml file को CD में समर्पित किया गया है, जिसे इस पत्र के साथ सलंग्न कर समर्पित किया जा रहा है **(अनु०:–1)**।
3	As per Geotechnical observation, it appears that proposed forest land proposed for diversion has already been violated by User Agency by starting the work in forest before the required permission. If, so, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation why forest department could not assess the violation while processing the application.	विषयक परियोजना में उपायुक्त, चतरा द्वारा उनके ज्ञापांक 67/रा० दिनांक 08.01.2026 द्वारा बिना सक्षम स्तर की पूर्वानुमति के गैर–मजरूआ जंगल–झाड़ी पर किये गये टॉवर निर्माण किये जाने से संबंधित मामले में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन की जाँच हेतु संयुक्त जाँच कमिटी गठित किया गया। उक्त संयुक्त गठित जाँच कमिटी द्वारा गैर–मजरूआ जंगल– झाड़ी में उल्लंघन से प्रभावित क्षेत्र (भूमि का रकवा) एवं टॉवरों की संख्या को चिन्हित कर इस कार्यालय में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त, चतरा

		के पत्रांक 406/रा० दिनांक 23.02.2026 (छायाप्रति सलंग्न, **अनु०–2)** के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि पर कोई भी टॉवर का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, फलस्वरूप, इस प्रमंडल अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है।
4	As per the Geo-spatial analysis, it also appears that the transmission line has already been installed and in the uploaded KML, the user agency has tampered with the actual transmission line routes. Situation may be explained.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस पृच्छा के क्रम में निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :– "There is no deviation under Chatra (North) Forest Division." इसके साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वि ायक ट्रांसमिशन लाईन के Complete and consolidated alignment का .kml file, CD में समर्पित किया गया है।
5	Three cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous. Therefore, unnecessary files/documents should be removed.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit Analysis PARIVESH 1.0 Portal पर Form-A के Part-I में अपलोड कर दिया गया है, जो सलंग्न कर समर्पित किया जा रहा है। **(अनु०:–3)**।
6	User agency should submit an undertaking to abide the Chief Wildlife Warden's recommendation and also should submit the draft framework for mitigative measures/plans alongside.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव संरक्षक की अनुशंसाओं का पालन करने से संबंधित वचनवद्धता प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसे सलंग्न कर समर्पित किया जा रहा है। **(अनु०:–4)**।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन/निराकरण प्रतिवेदन की सात प्रतियाँ इस पत्र के साथ सलंग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

(राहुल मीणा, भा.व.से.)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।